



संख्या:- 222 /12-1 देहरादून: दिनांक: 31 जुलाई, 2024

सेवा में,

प्रमुख राधित,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन,
वन अनुभाग-3।

विषय:-भारतमाला परियोजना "लॉट-4/पैकेज-2" के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में नजीबाबाद-कोटद्वार को कोटद्वार-पौड़ी सड़क से जोड़ने वाले एन0एच0-119 के कोअद्वार बाईपास के 4 लेन के निर्माण हेतु 1.10 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/157584/2022)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण, पी0आई0यू0, नजीबाबाद, जिला-बिजनौर के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.10 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

प्रश्नगत प्रस्ताव पर प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार/वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र पर संस्तुति कर इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 222 /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट IV संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3. मुख्य वन संरक्षक/गढ़वाल, पौड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया समय-समय पर प्रकरण की समीक्षा करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त कर लें।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद-पौड़ी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।
7. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण, पी0आई0यू0, नजीबाबाद, जिला-बिजनौर।

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/157584/2022)

17-	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)	प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक की सहमति के पश्चात् प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की जाती है।
-----	--	--


हस्ताक्षर :

तिथि: 31-07-24

स्थान: देहरादून

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर
Principal Chief Conservator
of Forest Uttarakhand